



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1937 (श०)

(सं० पटना 1020) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
8 सितम्बर 2015

एस०ओ० 211, दिनांक 8 सितम्बर 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा—93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 2क के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक—2 के स्तम्भ—(3) की वर्तमान प्रविष्टि “5 लाख” को प्रविष्टि “10 लाख” द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2015-5052]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त—सह—प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

8 सितम्बर 2015

एस०ओ० 212, एस०ओ० 211, दिनांक 8 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2015-5053]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त—सह—प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

The 8th September 2015

S.O. 211, dated the 8th September 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to substitute the present entry “5 Lakh” of column number- (3)

of serial number- 2 of table appended to Rule 2A of Bihar Value Added Tax Rules, 2005 by the entry “10 Lakh” with immediate effect.

[No. Bikri-kar/Sansodhan-02/2015-**5052**]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1020-571+10-डी०ठी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>